महत्वपूर्ण एवं खास

ग्राम मल्दा में 15 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुसौर पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाई

रायगढ़। पुसौर पुलिस ने दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 को ग्राम मल्दा के मंदिर चौक पर एक सफल शराब रेड कार्रवाई में 15 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। सुबह थाना प्रभारी रोहित कुमार बंजारे को मुखबिर से ग्राम मल्दा में अवैध महुआ शराब तस्करी की सूचना मिली। थाना प्रभारी ने उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर के नेतृत्व में एक टीम को ग्राम मल्दा भेजा, जहां पुलिस टीम ने मंदिर चौक पर एक युवक को पैदल शराब ले जाते हुए पकड़ा। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम प्रेमकुमार बसोड है, जिसके पिता का नाम कलप राम बसोड है और वह नेतनगर, थाना जूटमिल, रायगढ़ का निवासी है। पुलिस ने उसके कब्जे से 15 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की है। आरोपी के खिलाफ थाना पुसौर में धारा 34 (2), धारा 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में एसआई कुंदन लाल गौर और कांस्टेबल राजकुमार उरांव शामिल थे। पुसौर पुलिस की इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं सर्वेक्षण समिति की बैठक आज

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियां के नियोजन का प्रतिषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों का क्रियान्वयन अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति की बैठक 23 अक्टूबर 2024 को शाम 4 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत की गई है।

जिले में अन्य राज्यों से धान के आयात को किया गया प्रतिबंधित

विशेष परिस्थिति में आयात संचालक से लेनी होगी अनुमति

रायगढ़। अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय से जारी आदेशानुसार कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में आगामी 14 नवम्बर से 30 अप्रैल 2025 तक रायगढ़ जिले में अन्य राज्यों से धान के आयात को प्रतिबंधित किया है। विशेष परिस्थिति में धान के आयात संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति की अनुमति से ही हो सकेगा। सुपर फाइन किस्म का धान जो 2800 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो के आयात के लिए संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। परंतु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी को देनी होगी।

कलेक्टर ने विभाग से महतारी वंदन योजना से 5 हजार वंचित महिलाओं की अपडेट जानकारी मांगी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। महतारी वंदन योजना से 5 हजार वंचित महिलाओं की स्थिति के संबंध में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी कृष्ण कुमार साहू से जानकारी एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। परियोजना अधिकारी कृष्ण कुमार साहू ने कहा कि ऐसे कई महिलाएं पलायन हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी महिलाओं के बैंक खाते का इनेबल्ड करना था, उसमें कितने महिलाओं का बैंक खाता इनेबल्ड हुआ है। महिला हितग्राहियों को बैंक में किसी कारणवश कितने प्रकरण हैं। ऐसे ही पलायन किए महिलाओं की कितनी संख्या है। इन सभी की अपडेट जानकारी कलेक्टर ने एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सारंगढ़ के होटलों में की जांच

सारंगढ़ बिलाईगढ़। दीपावली त्यौहार के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता जांच हेतु वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुधा चौधरी और नमूना सहायक वरुण पटेल की टीम ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी (एमएफटीएल) के माध्यम से सारंगढ़ बस स्टैंड के नजदीक भवानी रेस्टोरेंट, ठाकुर बिरयानी, नीलम होटल, सुरज होटल, अभिनन्दन होटल, राजेंद्र होटल आदि का जांच किया, जिसमें लगभग सभी होटलो में तेल का उपयोग दो -तीन बार से अधिक उपयोग पाए जाने पर नष्टीकरण की कार्यवाही की गई और सभी होटल मालिक को निर्देशित किया गया कि तेल का उपयोग तीन बार से अधिक न करे। राजेंद्र होटल, सुरज होटल के कई मिठाई में अमानक पाया गया। इसके साथ ही नीलम होटल में माजा एक्सपायर मिला जिसे मौक़े पर फेकवाया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगा।

स्कूली बच्चों के अपार आईडी जनरेट करने में लाए तेजी-कलेक्टर

- मिनी कीट वितरण के हितग्राही चयन में बरते विशेष सावधानी
- आयुष्मान कार्ड निर्माण में प्रगति लाने के दिए निर्देश
- कलेक्टर गोयल ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय कार्य प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर गोयल ने स्कूली बच्चों के अपार आईडी के संबंध में जानकारी लेते हुए अपार आईडी जनरेट करने में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह एक डिजिटल आईडी कार्ड है, जहां छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियां, डिग्री एवं अन्य जानकारी एकत्र होगी, जिससे स्थानांतरित छात्रों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। उन्होंने बच्चों के आईडी जनरेट के दौरान दाखिल खारिज में किसी प्रकार का छेड़छाड़ न हो इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुविभागवार समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को बीईओ से समन्वय कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए रबी में प्राप्त होने वाले मिनी कीट वितरण में हितग्राही चयन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान के बदले अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, अत: रबी में धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को मिनी कीट प्रदान करें। कलेक्टर गोयल ने केसीसी निर्माण प्रगति के संबंध में कहा कि लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति धीमी है। उन्होंने कृषि विभाग, पशुपालन, उद्यानिकी एवं मत्स्य पालन विभाग को केसीसी बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मत्स्य विभाग को केज कल्चर में हितग्राही चयन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मिल्क रूट निर्धारण एवं नेपियर ग्रास क्षेत्र के संबंध में जानकारी ली।

कलेक्टर गोयल ने आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने शहरी क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड निर्माण के धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने रायगढ़ शहरी एवं ग्रामीण में आयुष्मान कार्ड निर्माण में गति बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान तमनार बीएमओ एवं बीपीएम के कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी बीएमओ को आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने किसान सम्मान निधि एवं वन अधिकार प्राप्त पट्टेधारी किसानों की जानकारी लेते हुए एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों के शत-प्रतिशत पंजीयन संबंधी निर्देश दिए। राशन कार्ड के ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए लक्ष्य प्रदान कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही पीडीएस बारदाना संग्रहण एवं ऑफ लाइन संचालित पीडीएस दुकानों की भी जानकारी ली। उन्होंने पीएम आवास के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वीकृत कार्यों को अतिशीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने जल शक्ति अभियान के तहत जल संचयन क्षेत्रों के एंट्री में तेजी लाने वन विभाग के साथ ही नगरीय क्षेत्रों के बिल्डिंग एवं आवासीय कॉलोनी में निर्मित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के एंट्री के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग को मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान तैनात करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने पटाखा लाइसेंस जारी करने के संबंध में विशेष निर्देश दिए। इस दौरान लैलूंगा में जल आपूर्ति के तैयार किए जा रहे खम्हार पाकुट के निर्माण की जानकारी लेते हुए एसडीएम लैलूंगा को कार्य प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, जन शिकायत जैसे विभिन्न पोर्टल में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को आवेदनों के समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम सुश्री संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, आयुक्त नगर निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्योत्सव की तैयारियों के संबंध में दिए निर्देश

कलेक्टर गोयल ने जिला मुख्यालय में होने वाले राज्योत्सव के तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को स्टॉल के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए। ताकि जनसामान्य विभागों में संचालित योजनाओं को जानकारी प्राप्त हो सके। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी, निगम, वन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसे विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी।

अज्ञात वाहन की जानकारी सभी तहसीलदार एक सप्ताह में प्रस्तुत करें : कलेक्टर साहू

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने समय सीमा की बैठक ली। बैठक में सभी लंबित मामलों के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने सभी तहसीलदार से जानकारी ली कि आखिर 22 अज्ञात वाहन एफआईआर प्रकरण में निराकरण क्यों नहीं किया गया, जबकि वर्ष 2022 से लेकर अब तक का केस लंबित है। क्या कार्यवाही बाकी है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि इसमें तहसीलदार का कार्य बाकी है। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह में जानकारी प्रस्तुत करें।

कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में महतारी वंदन योजना, पीएम आवास, राशन कार्ड का नवीनीकरण और ईकेवायसी, राजस्व, धान उपार्जन, पीडीएस भंडारण, कुर्की पर जिले की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी तहसीलदार को कहा कि पटवारियों के एंट्री और धान बिक्री की 100 एंट्री की जांच करें और प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने आगामी 24 को गुड़ेली में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर और 5 नवंबर को जिले में आयोजित राज्योत्सव की तैयारी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान, संयुक्त कलेक्टर एस के टंडन, एसडीएम प्रखर चंद्राकर सहित जिले के अधिकारीगण उपस्थित थे।

टीबी मरीजों को फूड बास्केट का किया गया वितरण

- मरीजों को नियमित दवाई के साथ अतिरिक्त पोषण के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में आज खरसिया ब्लॉक के 30 टीबी मरीजों को फूड बास्केट का वितरण किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में टीबी बीमारी से मुक्त रहने को लेकर टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार फूड बास्केट का वितरण जेएसडब्ल्यू कंपनी नहरपाली, खरसिया के द्वारा किया गया।

स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में टीबी उन्मूलन हेतु लक्ष्य रखा गया है। शासन द्वारा राज्य को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे है। जिसका लाभ ऐसे मरीज उठा पा रहे है।

टीबी से ग्रसित लोगों के बीच फूड बास्केट का वितरण करते हुए टीबी बीमारी को लेकर जागरूक किया गया है। टीबी से लडऩे के लिए दवा के अलावा पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी जरूरी है। टीबी बीमारी का इलाज अब संभव है। जरूरत है तो सिर्फ लोगों को जागरूक होने कि अगर किसी प्रकार का लक्षण दिखाई दें तो व्यक्ति अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर इसका नि:शुल्क इलाज करा सकते है।

जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ.जय कुमारी चौधरी, बीएमओ डॉ.अभिषेक पटेल की उपस्थिति में जेएसडब्ल्यू एडमिन हेड एसके. मिश्रा एवं अन्य सीएसआर विभाग के पुष्पलता यादव सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा खरसिया ब्लॉक के 30 टीबी मरीजों को गोद लेकर फूड बास्केट वितरण किया गया। जिसमें सभी टीबी मरीजों को नियमित दवाई के साथ अतिरिक्त पोषण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जिससे मरीज शीघ्र रोग मुक्त हो सके। उक्त फूड बास्केट वितरण कार्यक्रम में बीपीएम सूरज पटेल, एसटीएस प्रमिला साहू, टीबीएचवी सुमित पटेल एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

संकुल पंचपारा में आयोजित पीटीएम बैठक में पालकों को अपार आईडी बनाने हेतु की गई अपील

रायगढ़

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.के.वी.राव एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश पटेल के मार्गदर्शन में पंचपारा संकुल के समस्त स्कूलों में माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय पंचपारा में मेगा पालक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों के पालकों के समक्ष विद्यालय के संकुल समन्वयक श्रवण कुमार साव के सहयोग से शासन की योजनाओं को बताते हुए अपार आईडी बनाना, छात्रवृत्ति कार्य पूर्ण करना एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर दूरेन्द्र नायक, हेमसागर साव प्राथमिक विद्यालय बाघा डोला सुनीता प्रधान, नवापारा से जयंती गुप्ता, कोशमंदा से रंजीता महाना, सुकूल भटली से किरण खलखो, मोहापाली से शोभाराम सोनवानी उपस्थित रहे।

इस मीटिंग में विद्यार्थियों के माता-पिता के द्वारा प्रश्न भी पूछे गए। विद्यालय में संपन्न तिमाही परीक्षा एवं आगामी वार्षिक परीक्षा और उनके उपलब्धि पर भी चर्चा की गई। पालकों को यह भी अवगत कराया गया कि बच्चों को जो भी गृह कार्य दिया जाता है, वे समय पर पूर्ण कर स्कूल भेजें। पालको को साइबर क्राइम से किस तरह बचा जाए, मोबाइल फोन के दुरुपयोग से कैसे बचा जाए, बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता-पिता (पालकों)को सदैव सजग रहना है, इस संबंध में भी पालकों को जागरूक किया गया। इस बैठक में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त सभी शिक्षकों द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं योजनाओं की जानकारी दी गई। उक्त बैठक में संकुल पंचपारा के सभी शालाओं में पदस्थ शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा।

पीडीएस राशि की गबन मामले के एक केस में हुई नीलामी प्रक्रिया

- लोग शामिल नहीं हुए, जिसके कारण नीलामी अपूर्ण

सारंगढ़ बिलाईगढ़

पीडीएस राशि की गबन मामले में कुछ प्रकरण हाईकोर्ट में प्रक्रियाधीन है और एक प्रकरण में नीलामी की कार्रवाई की गई। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) बिलाईगढ़ से शासकीय मूल्य की दुकान बिलाईगढ़ आईडी क्रमांक-442007001 में आरआरसी राशि 9,24,969.81 रूपए की वसूली संचालनकर्ता एजेंसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बिलाईगढ़ के समिति प्रबंधक टीकाराम साहू एवं तत्कालीन विक्रेता विषेश्वर प्रसाद साहू से करने हेतु प्राप्त प्रतिवेदन पर न्यायालय तहसीलदार बिलाईगढ़ में विचाराधीन प्रकरण-202407320900024 /8-76/ 2023-24 में पक्षकार- शासन बनाम टीकाराम एवं अन्य 01 में आर.आर.सी राशि की वसूली हेतु अनावेदक टीकाराम की कुर्क अचल संपत्ति जो ग्राम सुतीउरकुली एवं गोंदली में स्थित है, को न्यायालय द्वारा विधिवत जारी नीलामी उद्घोषणा अनुसार नियत स्थल न्यायालय नायब तहसीलदार के सामने परिसर में नीलाम किये जाने की कार्यवाही प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ कर तथा कार्यवाही शाम 5 बजे रखा गया। नीलामी कार्यवाही के दौरान बहुत से लोग उपस्थित हुये जिन्हें नीलामी संबंधी पूर्ण जानकारी दिया गया किन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा नीलामी कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया, जिसके कारण नीलामी की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाया। नीलामी कार्यवाही के दौरान तहसीलदार बिलाईगढ़ सहित अन्य राजस्व कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति कार्यवाही विवरण के समय उपस्थित रहे।

जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आवेदकों ने सुनाई अपनी समस्या

- कलेक्टर गोयल ने प्राप्त आवेदनों पर त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में बारी-बारी से आवेदकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये आवेदकों ने अपनी समस्याओं, मांगो और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किये। इस अवसर पर एडीएम सुश्री संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, आयुक्त नगर निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जनदर्शन में आज धनागर के कपिल उरांव प्रधानमंत्री आवास निर्माण में हो रही बाधा उत्पन्न के संबंध में आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने कहा उनके पैतृक जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए राशि आबंटित हुई है। किन्तु आवास निर्माण में पदमलोचन पटेल द्वारा बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। इस संबंध उन्होंने ग्राम पंचायत में शिकायत भी दर्ज करायी है। परंतु आज पर्यन्त निराकरण नहीं हो पाया है। इसी तरह ग्राम-परसदा के हलधर राठिया मुआवजा दिलाने के संबंध में आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि उनके खेत के पास जिंदल स्टील पावर द्वारा डस्ट डम्प किया गया है जिससे फसल को नुकसान हो रहा है जिससे आर्थिक क्षति हो रही है। कलेक्टर गोयल ने संबंधित अधिकारी को आवेदनों पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। शाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरगढ़ में शिक्षक व्यवस्था के संबंध में आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि स्कूल में भूगोल, अंग्रेजी और भौतिकी के शिक्षक न होने कारण अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने शिक्षक व्यवस्था के लिए आग्रह किया। कलेक्टर गोयल ने जिला शिक्षा अधिकारी को शीघ्र ही स्कूल में शिक्षक व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों के अध्यापन कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वार्ड क्रमांक 46 उर्दना के समस्त ग्रामवासी शमशान घाट आने-जाने के रास्ता को खुलवाने संबंधित आवेदन लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि शमशान घाट एवं नदी निस्तारी के रास्ता में यहां के ग्रामवासी वर्षो से आना जाना करते है। लेकिन बीते दिनों रमेश कुमार भगत द्वारा यहां सीमेंट खंभा खड़ाकर कांटा तार से चारों ओर से घेर लिया है तथा शमशान घाट से लगे हुए शासकीय जमीन जो खाली है उसे भी चारों तरफ से कब्जा कर खेती कर रहा है। जिससे ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कैदीमुड़ा रायगढ़ के दुखीराम निषाद श्रवण यंत्र की मांग हेतु आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने बताया कान में तकलीफ होने की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है जिससे जीवन-यापन में तकलीफ हो रही है। प्रार्थी गरीब व मजदूर वर्ग का व्यक्ति है जिसकी वजह से वे कही उचित इलाज भी नहीं करा पा रहे है। उन्होंने जनदर्शन में श्रवण यंत्र की मांग की ताकि कही आने-जाने व काम-काज करने में परेशानी न हो। चलने-फिरने में असमर्थ कौशल ट्राय सायकिल की मांग हेतु आवेदन लेकर जनदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने कहा वे जन्म से ही दिव्यांग है। जिसकी वजह से चलने-फिरने में कठिनाई होती है। उन्होंने ट्रायसायकिल की मांग की। कलेक्टर गोयल ने समाज कल्याण विभाग को आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर ट्रायसायकिल देने के निर्देश दिए। इसी तरह अन्य लोग में राशन कार्ड, वृद्धापेंशन, आवास, चिकित्सा सहायता सहित अन्य मांगों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन लेकर पहुंचे थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480